समक्ष उच्च न्यायालय उत्तराखंड, नैनीताल

रिट याचिका (एम/एस) संख्या–1111 सन् 2022

रविंद्र ब्रहमचारी . . . . याचिकाकर्ता।

बनाम

सच्चा वैदिक संस्थान (सच्चा धाम) . . . .उत्तरदाता।

साथ में

रिट याचिका (एम/एस) संख्या–1114 सन् 2022

रविंद्र ब्रहमचारी . . . . याचिकाकर्ता।

बनाम

सच्चा वैदिक संस्थान (सच्चा धाम) . . . .उत्तरदाता।

याचिकाकर्ता की ओर सेः– श्री रामजी श्रीवास्तव, अधिवक्ता।
श्री यश मिश्रा, अधिवक्ता।
उत्तरदाता की ओर सेः–श्री सिद्धार्थ शाह।

दिनांक 03.08.2022

माननीय मनोज कुमार तिवारी, जे

दोनों रिट याचिकाओं में, याचिकाकर्ता ने आदेश–41, नियम 27 सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत अपने आवेदनों की अस्वीकृति को चुनौती दी है। चूंकि तथ्य एवं विधि के सामान्य प्रश्न दोनों रिट याचिकाओं में सम्मिलित हैं। अतः इनका एक साथ निर्णय किया जा रहा है।

2. वर्ष 2011 में याचिकाकर्ता के विरूद्ध उत्तरदाता द्वारा दो वाद दायर किए गए थे जो कि विचारण न्यायालय द्वारा आदेश एवं निर्णय दिनांकित 30.3.2016 के आधार पर डिक्री किए गए। हालांकि, याचिकाकर्ता की अपील पर दोनों मुकदमों में पारित डिक्री को अपास्त कर दिया गया और मामले को वापस विचारण न्यायालय में भेज दिया गया था। पुनः भेजे गए मामले पर, विद्वान विचारण न्यायालय ने फिर से आदेश एवं निर्णय दिनांकित 2.9.2021 के आधार पर दोनों मामलों में डिक्री पारित की गई। दोनों मुकदमों के निर्णय एवं डिक्री को याचिकाकर्ता द्वारा अपील योजित कर सिविल अपील सं0 11/2021 एवं सिविल अपील सं0 12/2021 के द्वारा चुनौती दी गई

थी। दोनों अपीलों में, याचिकाकर्ता द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 के तहत आवेदन दाखिल कर अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में वसीयत दिनांकित 30.08.2010 सहित जो कि स्वामी हंसराज जी महाराज द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में निष्पादित की गई थी, को योजित किए जाने की याचना की गई। आदेश दिनांकित 27.04.2022 के संयुक्त आदेश, के माध्यम से विद्वान जिला जज द्वारा उक्त दोनों प्रार्थना पत्र निरस्त किए गए। इस प्रकार उक्त आदेशों से पीडित होकर याचिकाकर्ता ने, संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत इस न्यायालय में पहुंचे हैं।

3. विद्वान अपीलीय न्यायालय/जिला न्यायाधीश, टिहरी गढ़वाल द्वारा पारित आक्षेपित आदेश रिट याचिका के रिकॉर्ड पर संलग्नक –10 के रूप में है। विद्वान विचारण न्यायालय ने इस मामले पर बहुत विस्तार से विचार किया है और यह माना कि याचिकाकर्ता द्वारा की गई प्रार्थना आदेश 41, के नियम 27(1) के खंड (ए) या खंड (एए) के तहत नहीं आती है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 के नियम 27 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है तैयार संदर्भः

27. अपील न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य का पेश किया जाना– अपील के पक्षकार अपील न्यायालय में अतिरिक्त साक्ष्य चाहे वह मौखिक हो या दस्तावेजी, पेश करने के हकदार नहीं होंगे, किंतु यदि–

(क) उस न्यायालय ने जिसकी डिक्री की अपील की गई है, ऐसा साक्ष्य ग्रहण करने से इंकार कर दिया है, जो ग्रहण किया जाना चाहिए था, अथवा

(कक) वह पक्षकार जो अतिरिक्त साक्ष्य पेश करना चाहता है, यह सिद्ध कर देता है कि वह सम्यक् तत्परता का प्रयोग करने के बावजूद ऐसे साक्ष्य की जानकारी नहीं रखता था या उसे, उस समय पेश नहीं कर सकता था जब वह डिक्री पारित की गई थी, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, अथवा।

(ख) अपील न्यायालय किसी दस्तावेज के पेश किए जाने की या किसी साक्षी की परीक्षा की जाने की अपेक्षा या तो स्वयं निर्णय सुनाने के समर्थ होने के लिए या किसी अन्य सारवान हेतुक के लिए करे,

तो अपील न्यायालय ऐसे साक्ष्य का लिया जाना या दस्तावेज का पेश किया जाना या साक्षी की परीक्षा का किया जाना अनुज्ञात कर सकेगा।

(2) जहां कहीं अतिरिक्त साक्ष्य पेश करने के लिए अपील न्यायालय अनुज्ञा दे देता है, वहां न्यायालय ऐसे साक्ष्य के ग्रहण किए जाने के कारणों को लेखबद्ध करेगा।

4. सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41, नियम 27 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपीलीय स्तर पर अतिरिक्त साक्ष्य चाहे वह मौखिक या दस्तावेजी, का प्रस्तुतीकरण तीन परिस्थितियों में, ही स्वीकृत हो सकता है अर्थात (1) जहां विचारण न्यायालय ने साक्ष्य को स्वीकार करने से इंकार कर दिया है, हालांकि इसे स्वीकार होना चाहिए था, या (2) पक्षकार के पास सम्यक् तत्परता के बावजूद भी साक्ष्य मौजूद न हो, या (3) अपीलीय न्यायालय को निर्णय सुनाए जाने या अन्य महत्वूर्ण कारण से अतिरिक्त साक्ष्य की आवश्यकता हो।

5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जगदीश प्रसाद पटेल बनाम शिवनाथ, 2019 (6) एससीसी 82 में अवधारित किया गया है कि अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता, यदि अपीलार्थी अवर न्यायालय के सुसंगत प्रपत्र प्रस्तुत किए जाने हेतु सतत् नहीं था, यद्यपि न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य को न्यायहित में स्वीकार कर सकती है, जब न्यायालय के समक्ष संतोषजनक कारण प्रस्तुत किया गया हो।

6. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भारत संघ बनाम इब्राहिम उद्दीन एवं अन्य, (2012) 8 एससीसी 148, में इस सिद्धांत को दोहराया है कि अपीलीय कोर्ट को अवर न्यायालय के अभिलेख से बाहर नहीं जाना चाहिए और न ही अपील के समय कोई साक्ष्य लिया जा सकता है। हालाँकि, आदेश 41 नियम 27 सिविल प्रक्रिया संहिता अपीलीय न्यायालय को सक्षम बनाता है कि असाधारण परिस्थितियों में वह अतिरिक्त साक्ष्य लें सके। उक्त निर्णय का प्रासंगिक उद्धरण नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

> ''36। सामान्य सिद्धांत यह है कि अपीलीय न्यायालय को अवर न्यायालय के अभिलेखों के बाहर नहीं जाना चाहिए और न ही अपील में कोई साक्ष्य लिए जा सकते हैं। हालाँकि, एक अपवाद के रूप में, आदेश 41, नियम 27 सिविल प्रक्रिया संहिता

अपीलीय न्यायालय को अपवादजनक परिस्थितियों में अतिरिक्त साक्ष्य लेने में सक्षम बनाता है। अपीलीय न्यायालय केवल और केवल यदि इस नियम में निर्धारित शर्तें पाई जाती है, तो उसी स्थिति में अतिरिक्त साक्ष्य की अनुमति दे सकता है। इस तरह के साक्ष्य की स्वीकृति के लिए, पक्षकार अधिकार के रूप में हकदार नहीं हैं। इसलिए, जब अपीलीय न्यायालय के पास संतोषजनक निर्णय पारित करने के लिए पत्रावली पर साक्ष्य उपलब्ध है, उन परिस्थितियों में उक्त प्रावधान लागू नहीं होते हैं। यह संपूर्ण न्यायालय के विवेके पर निर्भर करता है, जो उचित रूप से न्यायालय द्वारा प्रयोग में लाना चाहिए। उक्त विवेक सदैव न्यायिक होना चाहिए। (के. वेंकटरमैया बनाम ए सीताराम रेड्डी और अन्य, एआईआर 1963 एससी 1526, नगर निगम ग्रेटर बॉम्बे बनाम लाला पंचम व अन्य, ए0आई0आर0 1965 एससी 1008, सूंडा राम और अन्य बनाम वी रामेश्वरलाल और अन्य, एआईआर 1975 एससी 479, और सैयद अब्दुल खादर बनाम रामी रेड्डी व अन्य एआईआर 1979 एससी 553)।

37. अपीलीय न्यायालय को साधारणतः अपील में पक्षकार द्वारा नये तथ्य उठाए जाने पर साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। इसी तरह जहां एक पक्षकार जिस पर किसी बिंदु को सिद्ध करने का भार होता है, उसे सिद्ध करने में असफल हो जाता है, वह एक नए अवसर का हकदार नहीं है। जैसा कि अदालत कर सकती है, ऐसे मामलों में, उसके खिलाफ बिना कोई अतिरिक्त साक्ष्य लिए निर्णय सुना सकती है। (हाजी मोहम्मद इशाक डब्लू0डी0 एस के मोहम्मद व अन्य बनाम मोहम्मद इकबाल और मोहम्मद अली एंड कंपनी, एआईआर 1978 एससी 798)।

40. किसी पक्षकार की भूल या उसके विधिक बिंदु को समझने की असमर्थता और उसके अधिवक्ता द्वारा दी गई गलत सलाह या उसके अधिवक्ता की लापरवाही या पक्षकार के द्वारा दस्तावेज की महतता को न समझना ''पर्याप्त कारण'' के अंतर्गत नहीं आता है। केवल यह तथ्य कि कुछ दस्तावेज

महत्वपूर्ण हैं, यह भी अपील में साक्ष्य ग्राहय करने का अधिकार नहीं है।

47. ''जहां अतिरिक्त साक्ष्य संदेह के बादल को हटा देता है तथा साक्ष्य प्रत्यक्ष एवं महत्वपूर्ण वाद के बिंदु से संबंधित है तथा न्यायहित में आवष्यक है, उस स्थिति में अभिलेख को पत्रावली में सम्मिलित किया जा सकता है तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जा सकता है।''

7. विद्वान जिला न्यायाधीश के समक्ष, याचिकाकर्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि उसके अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की प्रार्थना आदेश 41, नियम–27 (1) का खंड (ए) सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आती है। चूंकि विचारण न्यायालय द्वारा उसके साक्ष्य को जो कि ग्राहय होने चाहिए थे, पत्रावली पर योजित नहीं किया है। विद्वान जिला न्यायाधीश ने यह उल्लेखित किया है कि आदेश 41 के नियम 27(1) का खंड (ए) सिविल प्रक्रिया संहिता का वर्तमान मामले में लागू नहीं होती है। क्योंकि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य लेने से इंकार नहीं किया है। इसके विपरीत, बार–बार अवसर दिए जाने के पश्चात, याचिकाकर्ता द्वारा मूल वसीयत को अभिलेख में योजित नहीं किया गया, जिसके संबंध में विचारण न्यायालय के आदेश दिनांकित 27.11.2019 का हवाला दिया गया है। उक्त आदेश के अवलोकन से यह विदित है कि याचिकाकर्ता को मूल वसीयत प्रस्तुत किए जाने हेतु अनेक अवसर दिए गए, लिखित वचन के बावजूद भी याचिकाकर्ता द्वारा मूल वसीयत प्रस्तुत नहीं की गई। इसलिए, वसीयत प्रस्तुत करने का अवसर विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 04.12.2019 के माध्यम से समाप्त किया गया। इस प्रकार, विद्वान जिला जज ने यह अवधारित किया है कि विचारण न्यायालय द्वारा बार–बार आदेशित किए जाने के पश्चात् भी वसीयत को प्रस्तुत न किये जाने के लिए याचिकाकर्ता स्वयं जिम्मेदार है। विद्वान जिला न्यायाधीश ने आगे यह अवधारित किया कि चूंकि याचिकाकर्ता को वसीयत के बारे में ज्ञान था और उसने मूल वसीयत किसी अन्य मामले में दिनांक 24.05.2019 को योजित की थी। इसलिए भी याचिकाकर्ता को आदेश 41, नियम–27 (1) का खंड (एए) की सहायता नहीं दी जा सकती।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि उसके द्वारा प्रोबेट मामले में मूल वसीयत दिनांक 14.05.2019 को

योजित की गई थी। जिसका उल्लेख लिखित कथन में विचारण न्यायालय के समक्ष किया गया था। हालाँकि, यह तथ्य विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा अनदेखा किया गया। इसके अतिरिक्त, उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता के विरूद्ध पूर्व वाद आदेश दिनांकित 30.03.2016 के आधार पर डिक्री किए गए थे और अपीलीय न्यायालय द्वारा मामला पुनः भेजे जाने के पष्चात् वाद पुनः दिनांकित 02.09. 2021 को डिक्री किए गए। उन्होंने आगे कहा कि यदि याचिकाकर्ता द्वारा मूल वसीयत प्रोबेट मामले में प्रस्तुत कर दी गई थी, तो वह विचारण न्यायालय के समक्ष अवसर समाप्त होने से पूर्व उक्त वसीयत को तलब किए जाने की याचना कर सकता था। आगे तर्क प्रस्तुत किया कि तथ्य यह है कि वसीयत प्रोबेट केस में जमा थी, इसका खुलासा विचारण न्यायालय के समक्ष नहीं किया गया था। यदि यह कि उसके द्वारा लिखित कथन में इस तथ्य का खुलासा किया था, मामले को नहीं बढा सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा विचारण न्यायालय के सामने अपने लिखित अभिवचनों के बावजूद लुका–छिपी का खेल, खेला जा रहा था। लिखित आवेदन के पश्चात भी, उसके द्वारा अपनी मूल वसीयत विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई, जिस आधार पर वसीयत प्रस्तुत न करने का अवसर सही समाप्त किया गया।

9. अपने निवेदन के समर्थन में, उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय निर्णयन कर्नाटक राज्य बनाम के. सी.सुब्रमण्य, 2014 (13) एससीसी 468. का हवाला दिया गया। उक्त निर्णय के सुसंगत तथ्य पुनः पेश हैंः–

> ‘‘4। हालाँकि, हम इस तर्क के साथ प्रभावित महसूस नहीं करते हैं और इसे उचित पाते हैं। जिसके अंतर्गत आदेश 41, नियम 27(1) (एए) सिविल प्रक्रिया संहिता अस्वीकार किया गया। जो स्पष्ट रूप से इस प्रकार बताता है
>
> ”27. (1)(क) * * *
>
> (कक) वह पक्षकार जो अतिरिक्त साक्ष्य पेश करना चाहता है, यह सिद्ध कर देता है कि वह सम्यक् तत्परता का प्रयोग करने के बावजूद ऐसे साक्ष्य की जानकारी नहीं रखता था या

उसे, उस समय पेश नहीं कर सकता था जब वह डिक्री पारित की गई थी, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, अथवा।

(बी) * * *

इस प्रावधान के अवलोकन पर, यह स्पष्ट है कि पक्षकार अपील के स्तर पर ही अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने का अवसर पा सकता है, लेकिन साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुमति केवल तभी दी जा सकती है, जबकि विचारणीय स्तर पर पूर्ण प्रयास के पश्चात भी उक्त दस्तावेज प्रस्तुत न किया गया हो अथवा वह ज्ञान में न होने के कारण प्रस्तुत न किया गया हो। अतः अपीलार्थी द्वारा अपील के स्तर पर प्रस्तुत किया जा सकता है।

5. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अपील के स्तर पर अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की पूर्व शर्त यह है कि पक्षकार यह उल्लेखित करें कि वह पूर्ण प्रयास के पश्चात भी उक्त साक्ष्य को प्रस्तुत नहीं कर सका। यह केवल इच्छा के आधार पर स्वीकार नहीं होना चाहिए।

6. तात्कालिक मामले में, अपीलकर्ता एक सार्वजनिक प्राधिकरण हैं और उसके द्वारा रास्ते का मानचित्र योजित करने की अनुमति चाही। यह अविश्वसनीय है कि विवादित भूमि से संबंधित मानचित्र अपीलार्थी के ज्ञान में न हो। इसलिए प्रथम अपील के स्तर पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र निरस्तीकरण स्वीकार नहीं किया गया। इस प्रकार आक्षेपित आदेश में कोई विधिक कमी नहीं पाई गई, जिस आधार पर उसमें हस्तक्षेप किया जाए। ''

10. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 27.11.2019 का हवाला दिया गया, जिसमें याचिकाकर्ता के वसीयत प्रस्तुत किए जाने का अवसर समाप्त किया गया था। उक्त आदेश के आधार पर उन्होंने याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता ने विचारण न्यायालय के समक्ष लिखित वचन दिए जाने के पश्चात तथा विचारण न्यायालय के आदेश के पश्चात भी प्रस्तुत नहीं की गई। इसलिए, उन्हें अपीलीय स्तर पर कमी पूरी करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। आगे तर्क दिया कि हालांकि वसीयत याचिकाकर्ता के कब्जे में है, लेकिन वह उसे

विचारण न्यायालय के समक्ष पेश करने में विफल रहा है। अतः याचिकाकर्ता का अनुग्रह ग्रहण किए जाने के योग्य नहीं है तथा उसका प्रार्थना पत्र सही निरस्त किया गया।

11. कानून इस संबंध में सुस्थापित है कि आदेश 41, नियम 27 सिविल प्रक्रिया संहिता किसी भी कमजोरी को पूरा करने के लिए अथवा न्यायालय की चूक को पूरा करने के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है। यह किसी भी कमी व त्रुटि को अपील में पूरा किए जाने के संबंध में प्रयोग में नहीं ला जा सकता है। जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एन कमलालम (मृत) व अन्य वी. अय्यासामी एंड अदर, (2001) 7 एससीसी 503 में अवधारित किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा उक्त न्याय निर्णयन के पैरा 19 में अवधारित किया हैः—

> "19। संयोग से, आदेश 41 नियम 27 सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान मामले के कमजोर को जोड़ने तथा भूल को सही करने बाबत नहीं बनाए गए हैं। यह किसी कमी व दूरी व साक्ष्य में रह जाती है, उसको भरने के लिए प्राधिकृत नहीं करती है। अपीलीय न्यायालय का प्राधिकार एवं क्षेत्राधिकार निर्णय को सुनाने बाबत नये साक्ष्य को प्रतिबंधित करता है। यह न्यायालय नगर निगम ग्रेटर मुंबई बनाम लाला पंचम में यह स्पष्ट किया है कि उच्च न्यायालय को उन मामलों में सीमित रहना चाहिए, जो कि निर्णय उद्घोषित किए जाने बाबत आवष्यक है। उक्त निर्णय के प्रस्तर सं0 9 में न्यायालय ने यह अवधारित किया है कि :—
>
> ''यह प्रावधान उच्च न्यायालय को अपीलीय स्तर पर नए साक्ष्य लिए जाने हेतु अधिकृत नहीं करता है। उक्त साक्ष्य के बिना भी निर्णय उद्घोषित किया जा सकता है और न ही अपीलीय न्यायालय को यह अधिकृत करता है कि वह किसी एक ओर निर्णय उद्घोषित करने बाबत नये साक्ष्य लें। अन्य शब्दों में, यह केवल अपीलीय न्यायालय को साक्ष्य में किसी प्रकार की कमी दूर करने बाबत अतिरिक्त साक्ष्य लिए हेतु अधिकृत करता है। उच्च न्यायालय ने यह कहीं नहीं कहा है कि मामले में कहीं कोई कमी है। दूसरी ओर, यह कहते हैं

कि कुछ धोखाधडी एवं दूषित तर्क को निपटाने बाबत साक्ष्य दिए गए हैं। हमें दस्तावेजी साक्ष्य को सर्वप्रथम नियम 27 (1) उपखंड–ख का प्रयोग पूर्व से योजित अतिरिक्त दस्तावेज जोडे जाने बाबत नहीं किया जा सकता।

आगे प्रमोद कुमारी भाटिया बनाम ओम प्रकाश भाटिया में इस न्यायालय ने कुछ इस तरह की स्थिति निर्धारित कर अवधारित किया था। चूंकि एक आवेदन उच्च न्यायालय में वाद को दाखिल किए जाने के अनेक वर्ष पश्चात योजित किया गया तथा उसके कुछ समय पश्चात् उच्च न्यायालय में अपील योजित की गई, उच्च न्यायालय द्वारा अतिरिक्त साक्ष्य को लिए जाने से इंकार किए जाने के संबंध में हस्तक्षेप किए जाने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होगा। अपील दाखिल करने के 10 वर्ष पश्चात अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत किया जाना एक बड़ी प्रक्रिया है। वर्तमान में, वाद वर्ष 1981 में योजित किया गया, जिसमें वर्ष 1983 में डिक्री पारित की गई। उच्च न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील अप्रैल 1983 में योजित की, किंतु अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने का आवेदन अगस्त 1993 में किया गया। इस तथ्य को लिखित करने की आवश्यकता नहीं है कि अतिरिक्त साक्ष्य के दावों के संबंध में न्यायालय को सतर्क एवं सदैव सावधान रहना चाहिए। मौखिक साक्ष्य के संबंध में भी अपील के स्तर पर जबकि एक लंबा समय बीत गया है, हमारे विचार में केवल पढने मात्र से ही आदेश–41, नियम 27 सिविल प्रक्रिया संहिता दर्शाता है कि अपील योजित करने के 10 वर्ष के पश्चात जैसा कि ऊपर उल्लेखित किया है अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने के दावे को निरस्त किया जाना त्रुटिपूर्वक एवं अवैधानिक शक्ति का प्रयोग किया जाना नहीं है। नियम 27 के तीन अंग प्रभावित नहीं होते हैं। विद्वान विचारणीय न्यायालय, जबकि मामले से निपटाना एक मामले के रूप में है, वास्तव में वादी के पक्ष से की गई कमी व भूल वह यह कि वसीयत को सिद्ध करने वाले व्यक्ति को समन न कराया जाना न्यायपूर्ण है तथा किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उच्च न्यायालय ने इसको स्थिति संभालने वाला व्यवहार बताया, जिससे उत्तरदाता का दावा विफल हो जाता है तथा अभिलेखों के अवलोकन से हमारी भी यही सहमति है। उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के अत्यधिक विलंब से अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने की प्रार्थना निरस्त किए जाने में कोई त्रुटि नहीं की है। उस दृष्टि से मामला

प्रथम बिंदु का उत्तर नकारात्मक और इस प्रकार वादी के अपीलकर्ता होने के नाते उसके विरूद्ध।

12. कानूनी स्थिति से, यह स्पष्ट है कि आदेश 41, नियम 27 सिविल प्रक्रिया संहिता अपीलीय स्तर पर किसी भी पक्षकार को अतिरिक्त साक्ष्य प्रदान किए जाने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। हालांकि, अपीलीय न्यायालय अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने हेतु उसी स्थिति में अनुमति दे सकती है, जबकि वह निर्णय सुनाए जाने बाबत व अन्य किसी महत्वपूर्ण कारण के लिए आवश्यक हो। विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा यह अवधारित किया है कि याचिकाकर्ता का मामला आदेश 41 नियम 27 के खंड–(ए) एवं (एए) सिविल प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत नहीं बनता है और न ही ऊपर की गई चर्चा में ही यह उल्लेखित है। इसलिए यह न्यायालय विद्वान जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के संबंध में अनुच्छेद 227 की शक्तियों का प्रयोग करने से इंकार करती है। चूंकि विधि का यह सुस्थाापित सिद्धांत है कि संविधान का अनुच्छेद 227 केवल उसकी स्थिति में प्रयोग में लाया जा सकता है, जबकि न्याय का उद्देश्य विफल हो रहा है। जैसा कि माननीय सर्वोच्च द्वारा राधेश्याम और अन्य बनाम छवि नाथ और अन्य, (2009) 5 एससीसी 616 में रिपोर्ट किया गया।

13. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 के तहत आवेदन पर विचार अपील की अंतिम सुनवाई के समय किया जाना चाहिए। रिकॉर्ड में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह पता चले कि अपीलें अंतिम सुनवाई के स्तर पर नहीं हैं। यहां तक की अन्यथा भी, याचिकाकर्ता के आवेदनों को निरस्त किए जाने बाबत वैध कारण दिए गए है, इसलिए यह न्यायालय उक्त आक्षेपित आदेश में हस्तक्षेप किया जाना पर्याप्त नहीं पाता है।

14. परिणामस्वरूप, दोनों रिट याचिकाएं विफल एवं खारिज की जाती हैं। अंतरिम आदेश, यदि कोई हो, निरस्त किया जाता है।

(मनोज कुमार तिवारी, जे.)